"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2017—कार्तिक 26, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्रमांक 1675/LV-22-239-2017-Sep./1-8/स्था.—श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 11-09-2017 से 19-09-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, आगामी आदेश तक में विशेष सहायक, के पद पर मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्रमांक 1669/LV-22-105-2017-Jul./1-8/स्था.—श्री एस. के. शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 24-07-2017 से 05-08-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर 2017

क्रमांक 1709/LV-22-756-2017-Aug./1-8/स्था.—श्री पी. के. जनवदे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, को दिनांक 05-08-2017 से 20-09-2017 तक 47 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जनवदे, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जनवदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जनवदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर 2017

क्रमांक 1723/LV-22-236-2017-Sep./1-8.—श्री अनिल कुमार शर्मा, (रा.प्र.से.), अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 11-09-2017 से 23-09-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक ई 7-16/2017//एक-2.—विभागीय आदेश दिनांक 27-09-2017 तथा दिनांक 10-10-2017 की निरंतरता में श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से., अपर कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 14-10-2017 से दिनांक 15-11-2017 तक अर्जित अवकाश में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 20-87/2012/11 /6.—राज्य शासन एतद्द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत निम्नांकित अधिसूचनाओं से देय अनुदान एवं छूट के संबंध में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना निर्धारित करता है :—

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र. एवं संबंधित नियम का नाम	ऑनलाईन आवेदन कहां किया जाना है.	
			सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अन्य उद्योग
1.	पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	अधिसूचना क्र. एफ-20-09/2013/11/6 दिनांक 30-11-2015.	संबंधित जिले का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	उद्योग संचालनालय, छ.ग., रायपुर.
2.	मंडी शुल्क से छूट	अधिसूचना क्र. 2615/डी-15/116/पार्ट-2/14-2 दिनांक 11-06-2014.	—तदैव—	—तदैव—
3.	विद्युत शुल्क से छूट	अधिसूचना क्र. 2897/एफ-21/06/2013/13/2 दिनांक 03-10-2016.	—तदैव—	—तदैव—
4.	प्रवेश कर भुगतान से छूट	अधिसूचना क्र. एफ 10-30/2013/वाक/(पांच)/38 दिनांक 29-05-2013.	—तदैव—	—तदैव—

2. उक्त आवेदनों हेतु विभाग की वेबसाईट http://industries.cg.gov.in/ पर संपर्क करें.

3. अधिसूचना जारी होने की तिथि से ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे.

4. आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में 7 दिनों की समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में कमीपूर्ति बाबत् ई-मेल से सूचित किया जावेगा व प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन ही होगा.

यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक/एफ 8-5/2006/11 /(6).—बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा एन.टी.पी.सी., सीपत, बिलासपुर के बायलर क्रमांक सी.जी./577 को दिनांक 15-10-2017 से 13-04-2018 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर अथवा बायलर कंपोनेट में होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल निरीक्षक वाष्पयंत्र/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, पाइप लाइन तथा बायलर कंपोनेट में किसी प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385. क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2017

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2018 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-115/गृह-सी/परीक्षा/2017.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 08 जनवरी, 2018 से 15 जनवरी, 2018 तक रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अंबिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 08-01-2018

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

सोमवार, दिनांक 08-01-2018

(1)	(2)	(3)
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	प्रश्न पत्र-विद्युत संबंधी विधियां, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	सोमवार, दिनांक 08-01-2018	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	प्रश्न पत्र-भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 09-01-2018	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	प्रश्न-पत्र विद्युत संस्थापनायें, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 09-01-2018

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों की सहायता से) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 10-01-2018	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम, वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
24.	प्रश्न पत्र "व्यावहारिक शाखा" पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	प्रश्न पत्र-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 10-01-2018	
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 10-01-2018

(1)	(2)	(3)
27.	प्रश्न पत्र ''पुलिस शाखा'' (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	प्रश्न पत्र-इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, (बिना पुस्तकों के) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 11-01-2018

33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), नैसर्गिक संसाधन (खनिज) विभाग के अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 11-01-2018

(1)	(2)	(3)
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 12-01-2018	
45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 12-01-2018	
51.	प्रश्न पत्र-भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शनिवार, दिनांक 13-01-2018 एवं रविवार, दिनांक 14-01-2016 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 15-01-2018	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2017 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10147/10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	भैंसमुंडी प.ह.नं. 04	1.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम भैंसमुंडी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10148/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	मगरलोड प.ह.नं. 11	1.274	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय से माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम, मगरलोड.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10149/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	करैहा प.ह.नं. 11	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	करैहा व्यपवर्तन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10150/08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	सोनपैरी प.ह.नं. 32	1.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय से माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम सोनपैरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10151/02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	साल्हेभाठ प.ह.नं. 01	0.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	पनवई नाला व्यपवर्तन बोरसी माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम साल्हेभाठ.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10152/07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	मड़ेली प.ह.नं. 11	0.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय से माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम मड़ेली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10153/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	बकोरी प.ह.नं. 11	1.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम बकोरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक/10154/06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	बनियातोरा प.ह.नं. 32	1.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम बनियातोरा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2017

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-अमाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1865	0.162
1866	0.231
1836/2	0.170
1863/1	0.227
1760	0.081
1862	0.450
1757/1	0.158
1758/1	0.158
1864/1	0.109
1757/2	0.223
1758/2	0.158
1864/2	0.097
1756/2	0.486
1756/3	0.425
1750/1	0.146
1750/2	0.146
1744/2	0.308
1747/1	0.129
1747/2	0.162
1744/3	0.142
1744/1	0.603
1861	0.049
1863/3	0.130
1727/1, 1728/1	0.078
1743	0.081
1727/4, 1278/4	0.016
1724/1	0.085
1726/2	0.097
1726/1	0.109
1727/2, 1728/2	0.121
1756/4	0.202
1961	0.733
1869	0.126
1756/1	0.101
1727/3, 1728/3	0.040
योग 39	6.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/5718.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/4262-4263 रायपुर, दिनांक 06-09-2017 द्वारा श्री आर. बी. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डोंगरगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन 8313/ज्ये.लि. 1/2017 राजनांदगांव दिनांक 16-10-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ में श्रीमति प्रेमलता चंदेल, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. बी. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डोंगरगढ़ का अन्यंत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमति प्रेमलता चंदेल, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 1088/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office (s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Hemant Saraf, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act.	Rajnandgaon	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	District & Sessions Judge.
2.	Shri Rakesh Bihari Ghore, Registrar (Computerisation) High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Korba	Korba	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 1090/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Shahabuddin Qureshi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional Judge to the Court of I Additional District and Sessions Judge, Raigarh is appointed as Registrar (Computerisation) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 1092/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Shri Shakti Singh Rajput, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Rajnandgaon.	Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Rajnandgaon.

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 1094/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Shri Sumit Kapoor, II Civil Judge Class-I, Korba	Labour Court, Korba
2.	Ku. Pushplata Markande, II Civil Judge Class-I, Raigarh.	Labour Court, Raigarh

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 1096/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Mohd. Jahangir Tigala, Civil Judge Class-II.	Kota	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Civil Judge Class-II.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Dilli Singh Baghel, Civil Judge Class-II.	Navagarh	Kota	Bilaspur	Civil Judge Class-II.

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 1099/Confdl./2017/I-8-2/2010.—The following Presiding Officers of Labour Courts as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) and are also assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (6) until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Posted as (5)	Additional charge (6)
1.	Shri A. K. Choukse, Presiding Officer, Labour Court.	Bilaspur	Raipur	Presiding Officer, Labour Court No.-1.	Labour Court No.-2, Raipur and Labour Court Mahasamund.
2.	Shri S. L. Matre, Presiding Officer, Labour Court.	Durg	Bilaspur	Presiding Officer, Labour Court.	Labour Court , Janjgir-Champa and Labour Court, Baloda-Bazar.
3.	Shri P. K. Soni, Presiding Officer Labour Court.	Raigarh	Ambikapur	Presiding Officer, Labour Court.	Labour Court, Manendragarh.
4.	Shri A. K. Sanothiya, Presiding Officer, Labour Court.	Rajnandgaon	Jagdalpur	Presiding Officer, Labour Court.	Labour Court, Dhamtari.
5.	Shri S. K. Tripathi, Presiding Officer, Labour Court.	Raipur	Rajnandgaon	Presiding Officer, Labour Court.	Labour Court, Durg

Bilaspur, the 26th October 2017

No. 1142/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Shahabuddin Qureshi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Officer-on-Special Duty is appointed as Central Project Coordinator, E-Courts Mission Mode Project in the Establishment of the High Court with immediate effect. He is also assigned the charge of Registrar (Computerisation) in the establishment of the High Court in addition to his own duties till further orders with immediate effect.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.

Bilaspur, the 13th October 2017

No. 1119/Confdl./2017/II-3-2/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order Nos. 1061/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Pt.-II) dated 04-12-2015 and 228/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Pt.-II) dated 18-03-2016, are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Smt. Priyanka Agrawal	29-09-2016
2.	Shri Hemant Kumar Ratre	01-10-2016
3.	Smt. Archana Bhaskar	01-11-2016
4.	Shri Pawan Kumar Agrawal	23-12-2016
5.	Shri Pankaj Dixit	24-12-2016
6.	Mohd. Jahangir Tigala	01-05-2017
7.	Shri Brijesh Rai	01-06-2017
8.	Shri Subodh Mishra	01-06-2017
9.	Smt. Ravinder Kaur	27-06-2017
10.	Ku. Sakshee Dixit	27-06-2017
11.	Shri Sheelu Singh	01-07-2017
12.	Ku. Namita Anne Minj	28-07-2017
13.	Shri Sumit Kumar Harsyana	28-07-2017
14.	Shri Jeetendra Pradhan	29-07-2017
15.	Dr. Sumit Kumar Soni	04-08-2017

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJANI DUBEY, I/C Registrar General.